"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019 — माघ 1, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 21 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-5/2013/1-7. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28-05-2013 के द्वारा जिला बस्तर के थाना दरभा अन्तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित की गई हिंसात्मक घटना के संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक महत्व के विषय की विशेष जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013, 20-02-2014, 25-02-2015, 31-08-2015, 23-02-2016, 17-08-2016, 06-02-2017, 21-08-2017, 12-02-2018, 24-08-2018 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयावृद्धि की गई है. आयोग के कार्यकाल में की गई अंतिम वृद्धि दिनांक 27-02-2019 को पूर्ण हो रही है.

2. चूंकि जांच आयोग को सौंपे गये जांच बिंन्दुओं के अंतर्गत उक्त घटना के सम्पूर्ण पहलुओं के तथ्य एवं पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं होंगे. अत: घटना से संबंधित तथ्यों के प्रकटीकरण और उक्त घटना के पूर्व एवं पश्चात्वर्ती घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर इन समस्त विषयों पर आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्पूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके और घटना के विभिन्न पहलुओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान स्थापित की जा सके. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त जांच आयोग को सौंपे गये पूर्वोक्त वर्णित आदेश के जांच बिन्दुओं में निम्नानुसार अतिरिक्त जांच बिन्दु समाहित करते हुए आयोग के कार्यकाल में 28 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की वृद्धि करता है :-

न्यायिक जांच के अतिरिक्त बिन्दु :-

1. नवंबर 2012 में स्व. महेन्द्र कर्मा पर हुये हमले के पश्चात् क्या उनकी सुरक्षा की समीक्षा प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप के द्वारा की गई थी ?

2. स्व. महेन्द्र कर्मा को नवंबर 2012 में उन पर हुये हमले के पश्चात्, उनके द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग पर किस स्तर पर विचार/निर्णय किया गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

3. गरियाबंद जिले में जुलाई 2011 में स्व. नंद कुमार पटेल के काफिले पर हुये हमले के पश्चात्, क्या स्वर्गीय पटेल एवं उनके काफिले की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी और क्या उन अतिरिक्त सुरक्षा मानकों का पालन जीरमघाटी घटना के दौरान किया गया ?

4. क्या राज्य में नक्सलियों के द्वारा पूर्व में किये गये बड़े हमलों को ध्यान में रखते हुए नक्सली इलाकों में यात्रा आदि हेतु किसी निर्धारित संख्या में या उससे भी अधिक बल प्रदाय करने के कोई दिशा निर्देश थे ? यदि हां तो उनका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या पूर्व के बड़े हमलों की समीक्षा कर कोई कदम उठाये गये ?

5. नक्सल विरोधी ऑपरेशन में और विशेषकर टी. सी. ओ. सी. की अवधि के दौरान यूनिफाईड कमाण्ड किस तरह अपनी भूमिका निभाती थी ? यूनिफाईड कमाण्ड के अध्यक्ष के कर्तव्य क्या थे और क्या यूनिफाईड कमाण्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने उन कर्तव्यों का उपर्युक्त निर्वहन किया ?

6. 25 मई, 2013 को बस्तर जिले में कुल कितना पुलिस बल मौजूद था ? क्या परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम की अवधि में बस्तर जिले से पुलिस बल दूसरे जिलों में भेजा गया ? यदि हां तो किस कारण से और किसके आदेश से ? क्या इसके लिये सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

7. क्या नक्सली किसी बड़े आदमी को बंधक बनाने के पश्चात् उन्हें रिहा करने के बदले अपनी मांग मनवाने का प्रयास करते रहे हैं ? स्व. नंद कुमार पटेल एवं उनके पुत्र के बंधक होने के समय ऐसा नहीं करने का कारण क्या था ?

8. सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर, श्री अलेक्स पॉल मेनन के अपहरण एवं रिहाई में किस तरह के समझौते नक्सलियों के साथ किये गये थे ? क्या उनका कोई संबंध स्व. महेन्द्र कर्मा की सुरक्षा से था ?

आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिनांक 31-12-2019 तक के भीतर पूरी कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था अथवा विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.